Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम ...बयाना...............................

...(नाम)... .... बनाम .... नं. 3 [illegible] .... सन ...299/25...

किस्म मुकदमा ....144 CPC....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
17/10/24	प्रार्थना पत्र दर्ज रजि० हो। प्रकरण मूल वाद के साथ दि 23/12/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
23/12/24	कि प्रकरण उप० । प्रकरण का प्रार्थना पत्र बाबत मूलवाद [illegible] हो। अतः यह प्रार्थना पत्र मूलवाद के [illegible] मूलवाद के साथ [illegible] हो। प्रकरण मूलवाद के साथ पेश की जावे (हस्ताक्षर)	
30/10/25	पीठासीन अधिकारी ......[illegible]...... है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक ...11/11/25... को पेश है। (हस्ताक्षर) रीडर ओ/एस.डी.एम.	
11/11/25	प्रकरण पेश हुआ। वकील उप०। पत्रावली का अवलोकन किया गया। नियम अनुसार 144CPC की पत्रावली मूलवाद के साथ चलाया जाना आवश्यक है। अतः मूलवाद एवं 144CPC की पत्रावली पूर्व से साथ मे चल रही है। मूलवाद	

में करवाई गई कायम-मुकाम एवं तलबी की कार्यवाही इस प्रार्थना पत्र 144CPC में भी मान्य की जाती है। पत्रावली वास्ते आगामी कार्यवाही दिनांक 12/1/26 को पेश हो।

12/1/26 प्रकरण पेश हुआ। प्रार्थीगण उनके एडवो. महेन्द्र भूषण व अप्रार्थीगण की ओर से एडवो. नारायण सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र 144CPC पर बहस की गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27/1/26 को पेश हो।

27/1/26 पीठासीन अधिकारी दीगर मार्ग में हैं। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/1/26 को पेश है। (वकील हड़ताल)

रीडर
ओ/एस.डी.एम.

30/1/26 प्रकरण पेश हुआ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144CPC का अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी महो. के निर्णय दिनांक 25/06/24 की पालना में विवादित भूमि की पुन: मूल स्थिति हेतु प्रत्यास्थापन की आवश्यकता है। प्रार्थना पत्र 144 CPC स्वीकार किया जाता है। न्यायालय हाजा के पूर्व निर्णय/डिक्री दिनांक 8/8/2019 को उक्त माननीय न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा चुका है।

अत: प्रकरण अनुसार न्यायालय हाजा के निर्णय/डिक्री 8/8/2019 से पूर्व की स्थिति विवादित भूमि बाबत कायम की जावे। पत्रावली फैजल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद-तकमील दाखिल दफ्तर हो। तहसीलदार बयाना को निर्णय की प्रति मय प्रार्थना पत्र प्रेषित की जावे।